संख्या-26/ 2025/001-308-24-1-2025-6626 sp- 95t.c.

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उशासन। 0प्र0

सेवा में,

सचिव,
उविद्युत नियामक आयोग 0प्र0,
विद्युत नियामक भवन, निकट मंत्री भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:-उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को राजकोष में समर्पित अंकित करते हुए उसे ग्राण्ट के रूप में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2340प्र0नि0नि//ऊर्जा, दिनांक 27.11. 0प्र0जिसके अनुसार उ 2000 तथाविद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्सविधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को मार्च 31, कृति किया जाना है धनराशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीतक राजकोष में समर्पित करते हुए समतुल्य 2025, के सन्दर्भ में उ0सी0आर0ई0पी0यू-विद्युत नियामक आयोग के पत्र संख्या 0प्र0/लेखा/बजट/2025-1704, दिनांक 11 मार्च, विद्युत 0प्र0 धनराशि के एवज में उ अन्य तथा विधिवत रूप से प्राप्तद्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स 2025 2024 य वर्षनियामक आयोग के लिए वित्ती-25 के मूल बजट के आययक के भारित मद में प्राविधानित व्य-2 धनराशि रूपये,90,57,000/- (रूपये दो करोड़ नब्बे लाख सत्तावन हजार मात्रकी श्री (राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

<u>नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /</u>

)1 (उमार्च 10 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 0प्र0,50 तक कुल रूपये 2025 ,55,84,090/- (रूपये पचास करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार नब्बे मात्रकी धनराशि वसूल क (ी गयी है। उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-2 में रूपये 25,90,57,000/- (रूपये दो करोड़ नब्बें लाख सत्तावन हजार मात्रभारित मद में धनराशि (मार्च 31 कृत की जा रही है तथा आयोग द्वारा एकत्र की गयी अवशेष धनराशि दिनांकस्वी, तक राजकोष में 2025 जमा करायी जायेगी।

)2 (उपरोक्त धनराशि का आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन पुस्तक समायोजन द्वारा समतुल्य धनराशि प्राप्ति लेखाशीर्षक-''0043-विद्युत कर तथा शुल्क-800- प्राप्तियॉअन्य-01 फीस एवं विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त-आदिफाइन्स'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,90,57, 000(रुपये दो करोड़ नब्बे लाख सत्तावन हजार मात्र को (व्ययक मे-के आय 20242025 चालू वित्तीय वर्ष**अनुदान संख्या** 009**लेखा शीर्षक** 2045001030400 इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एकमुश्त व्यवस्था.प्र.उ**मानक मद** सामान्य - सहायता अनुदान 31 के नामे डाला जायेगा। (भारित) (वेतन)

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-143-X-2024-25-दिनांक:27-3-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-26/2025/001-308(1)-24-1-2025-6626 sp-95 t.c., तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।